अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हरिया।

Email Id- cogamharia2024@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक 614

अंचल अधिकारी
गम्हरिया।

दिनांक 28.5.2024

सेवा में,

प्रशासक,
नगर निगम आदित्यपुर,

विषय :- श्री प्रभु चरण मिस्त्री पिता स्व0 रामखेलावन शर्मा एवं श्रीमती सुमा देवी पति श्री प्रभु चरण मिस्त्री धारित भूमि का सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 788 दिनांक 18.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच करायी गयी। जाँचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

28.5.24

अंचल अधिकारी
गम्हरिया।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी

गम्हरिया।

विषय :– भूमि सत्यापन के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

प्रसंग– नगर आयुक्त नगर निगम, आदित्यपुर के पत्रांक 788 दिनांक 18/03/24

महाशय,

आदेशानुसार उक्त प्रसंगिक विषयक पत्र का जॉच किया एवं राजस्व अभिलेख से मिलान कर पाया कि –

मौजा भुरकाडीह खेसरा नं0 165, 166, 182 थाना नं0 61 खाता नं0 19 रकवा 0.05.5 एकड का जमाबंदी नामान्तरण वाद सं0 536/12-13 के आदेशानुसार श्री प्रभु चरन मिस्त्री वो शर्मा वो के नाम पंजी II भैल्युम III के पेज नं0 4 पिता/पति राम खेलावन पर कायम है।

पुराना सर्वे 1964 खतियान के अनुसार मौजा भुरकाडीह थाना नं0 61 खेसरा नं0 165 किस्म दोन तीन रैयती खाते की भूमि है। खाता रैयत कन्हाई प्रामाणिक वो पिता/पति सदाई प्रामाणिक वो है।

अं0अ0/अ0नि0 गम्हरिया

आवेदित भूमि रैयति खाते की भूमि है। आवेदित भूमि मौजा - भुरकाडीह, थाना-61 खाता सं. 19 खेसरा सं. 165, 166, 182 रकबा - 5.50 डी० भूमि नामान्तरण वाद सं - 536/12-13 के आदेशानुसार प्रभु चरन मिस्त्री, पिता - राम खेलावन शर्मा, पुष्पा देवी पति - प्रभु चरन मिस्त्री के नाम पर पंजी-II के भाग संख्या - III के पृष्ठ सं - 4 में जमाबंदी दर्ज है।

हाल सर्वे खतियान के अनुसार कन्हाई प्रामाणिक पिता - सदाई प्रामाणिक एवं गौरांग प्रामाणिक पिता - नाबन प्रामाणिक जाति - कुम्हार जो CNT Act से प्रभावित है। इनके नाम पर मौजा - भुरकाडीह, थाना सं - 61 खाता सं - 19 प्लॉट संख्या - 165, 166, 182 किस्म क्रमशः दोन तीन, धनी पर्ती, दोन दो। उक्त भूमि सिलिंग एवं किसी अन्य विभाग द्वारा वर्जित है या नहीं इसका कार्यालय में उसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

[illegible signature]

अंचल अधिकारी
गम्हरिया

अं०अ० / अं०नि० गम्हरिया

महाशय, आवेदित भूमि मौजा - मुरकाडीह, थाना नं० -
61 के अंतर्गत खाता सं० - 19 प्लॉट सं० -
168/1325 रकबा 0.06½ एकड़ भूमि की
द्वारा सर्वे नक्शा अनुसार आवेदित
एकल जाँच किया। उक्त भूमि पर
आवेदिक श्री प्रभु चरण मिस्त्री पिता
श्री रामजीवन शर्मा एवं प्रतिवादि
सुमा देवी पति श्री प्रभु चरण निर्मल
मिस्त्री के 3125 बाउंड्री निर्माण किया हुआ कार्य
का एकल - करवा लिया
पाया गया।

अंचल अधिकारी
गम्हरिया
20/5/2024

कार्यालय, आदित्यपुर नगर निगम

(नगर निवेशन शाखा)

कल्पनापुरी, आदित्यपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, आदित्यपुर

e-mail : mcadityapur1@gmail.com

प्रेषक,   पत्रांक 788

255
21.3.24

आलोक कुमार (भा0प्र0से0)
प्रशासक,
नगर निगम, आदित्यपुर।

74
21.3.24

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
गम्हरिया।

दिनांक 18/03/24

विषय : श्री प्रभु चरण मिस्त्री पिता स्व0 रामखेलावन शर्मा एवं श्रीमती सुमा देवी पति श्री प्रभु चरण मिस्त्री द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री प्रभु चरण मिस्त्री पिता स्व0 रामखेलावन शर्मा एवं श्रीमती सुमा देवी पति श्री प्रभु चरण मिस्त्री द्वारा मौजा भूरकाडीह, थाना नं0 61, प्लॉट नं0 1962 (नया), 165, 166, 182(पुराना) खाता सं0 169(नया), 19(पुराना) रकवा 5.50 डी0 भूमि पर भवन निर्माण हेतु भवन प्लान पारित करने का आवेदन पत्र दिया गया है। कार्यालय में उक्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि उक्त भूमि किसके दखल कब्जा में है, साथ ही हस्तांतरण संबंधी स्वरूप एवं पुराना एवं नये सर्वे के अनुसार एवं सरकारी परिपत्रों, झार भूमि तथा न्यायादेश के आलोक में प्रस्तावित भूमि भवन प्लान पारित करने योग्य है या नहीं, इस संबंध मे स्पष्ट प्रतिवेदन के उपरांत ही अग्रतर कार्यवाई की जानी है। मूल खतियानी रैयत किस समुदाय का है, साथ ही CNT से संबंधित प्रतिवेदन अपेक्षित है कि उक्त भूमि CNT से प्रभावित है अथवा नहीं एवं **प्रतिवेदित किया जाय की उक्त भूमि सिंलिंग एवं किसी अन्य विभाग द्वारा अर्जित है या नहीं।** झारखण्ड भवन उप विधि अधिनियम 2016 के अन्तर्गत भवन प्लान को 30 दिनों के अन्दर स्वीकृति प्रदान किया जाना है। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि 7 दिनों के अन्दर स्वामित्व से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन देने का कष्ट करें ताकि ससमय आवेदन का निष्पादन किया जा सके।

विश्वासभाजन

प्रशासक
नगर निगम, आदित्यपुर

18/3/24

Scanned with CamScanner